

(14)

77

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 206/प्र0प्र0 भवन/जेन-2/2011-12 दिनांक 19/07/2012

अनुमति-पत्र




यह अनुमति उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इतना स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकान अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री मिर्जा इन्तेजाम उल्ला बैग पुत्र स्व० इरलाग उल्ला बैग स्थल गूखण्ड संख्या-30 एवं 32 करैलाबाग इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत व्यवसायिक/आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.6 एवं 3.1.6 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिस (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी, निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को इतने पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समाझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 02 अर्द्ध वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-मरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 10.07.2012 में अंकित प्रतिबन्ध जो मुख्यतः निम्नवत् है कि अक्षरशः पालन करना होगा :-
 - A. भवनों के निर्माण के दौरान नगर निगम की किसी भी अवस्थापना सुविधा की सति होती है तो उसका नरगत व निर्माण भवन सदागी के कराना होगा।
 - B. भवनों के अन्दर जल निकासी की सनुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि अवस्थापना सुविधा क्षतिग्रस्त न हो।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (इ) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि गूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विवादात्मकता द्वारा किया जाता है तो इ०प्र० द्वारा नियमानुसार उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुरुंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

Continued

समाप्त पत्र प्राप्त करना
Shamsul



अधिक/कमल लंबाई / 1.0m तक
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)




अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)

अधिक/कमल लंबाई
 आकारों में काटे जा सकते हैं
 (अनुमति के साथ)



DOOR	WINDOW	WALL
D1 = 700 x 200	W1 = 1000 x 1200	CEILINGED PLASTER
D2 = 900 x 200	W2 = 1200 x 1200	PAINTED PLASTER
D3 = 1000 x 200	W3 = 1500 x 1200	PAINTED PLASTER
D4 = 1200 x 200	W4 = 1800 x 1200	PAINTED PLASTER

AREA	DETAIL	IN SQ. METRE
TOTAL AREA		200.00
ROAD WIDENING		98.00
NET AREA		102.00
PROPOSED COND. ON BASEMENT		40.00
PROPOSED COND. ON GROUND FL.		47.00
PROPOSED COND. ON FIRST FL.		47.00
PROPOSED COND. ON 2ND FL.		47.00
OPEN AREAS AND PARKING		147.00
TOTAL AREA		147.00
PERMISSIBLE		150.00

PROPOSED COMMERCIAL RESIDENTIAL BUILDING
 PLAN OF NAGAR NIAMI, PLOT NO. 50 & 52
 KARLA BAGH ROAD (MUDRA) ROAD
 ALLAHABAD. DISTRICT, U.P.
 OWNER: MRS. MIRA J. SLAM ULLAH BEG
 LG. MIRA J. SLAM ULLAH BEG

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.